nt>

Title: Need to include Tarkhan community of Himachal Pradesh in the list of Scheduled Castes.

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लोहे का काम करके अपनी रोजी कमाने वाले लोगों को लुहार और लकड़ी का काम करके अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को तरखान जिन्हें अंग्रेजी में कारपेंटर कहा जाता है, ये दो समुदाय वहां प्राचीन काल से रहते आए हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन से पूर्व इन दोनों जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन राज्य पुनर्गठन के कारण जब 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ, तब पंजाब के जो क्षेत्र हिमाचल में सम्मिलित हुए, उनमें रहने वाला तरखान समुदाय जिसका लुहार समुदाय की तरह ही सामाजिक व्यवहार, रीति-नीति, खानपान, शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर है, उसे अनुसूचित जाति नहीं माना गया। पूरे प्रदेश में उनकी आबादी लगभग 53 हजार है। उनका घनत्व मुख्यतः **मंडी, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन एवं सिरमौर जिलों में अधिक है।**

मेरा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से निवेदन है कि यह एक विसंगति है जिसे तत्काल दूर किया जाना नितान्त आवश्यक है।